

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आजा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1663 /2020 दिनांक 07.09.2020

श्री देवेन्द्र सिंह नागर (RJ1018), विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, बीकानेर को दिनांक 31.07.2020 से 19.08.2020 तक 20 दिनों का क्वारेन्टाइन अवकाश (Quarantine Leave) स्वीकृत किया जाता है ।

श्री नागर की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम- 01, बीकानेर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, बीकानेर के पद पर ही की गई ।

आजा से
07/09/2020


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/06/2016/3719

दिनांक : 07.09.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, बीकानेर को उनके पत्रांक 26 दिनांक 20.08.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री देवेन्द्र सिंह नागर (RJ1018), विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, बीकानेर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम- 01, बीकानेर ।


सहायक रजिस्ट्रार